फाइल नं0-71-1001/94/2020

134/2023/I/396429/2023

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊः दिनॉक 27 सितम्बर, 2023

विषयः-वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ एवं सम्बद्ध चिकित्सालय का आंतरिक विद्युतीकरण कार्य हेतु 05 प्रतिशत (अवशेष धनराशि) की धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–एमई/बजट/2023-244/481, दिनांक 18.09.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ एवं सम्बद्ध चिकित्सालय का आंतरिक विद्युतीकरण कार्य हेतु अवशेष 05 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ एवं सम्बद्ध चिकित्सालय का आंतरिक विद्युतीकरण कार्य हेतु प्रायोजना रचना एंव मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित लागत रू0 1209.33 लाख की प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति तथा उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 270.46 लाख की धनराशि शासनादेश संख्या-227/2018/2608/71-1-18-जी-134/2018टी0सी0, दिनांक 11.09.2018 द्वारा अवमुक्त की गयी। इस प्रकार प्रश्नगत प्रायोजना हेतु अब तक कुल रू0 1148.86 लाख की धनराशि निम्नानुसार अवमुक्त की जा चुकी है:-

क्र0सं0	शासनादेश संख्या/दिनांक	धनराशि रू0 लाख में
1	227/2018/2608/71-1-18-जी-134/2018टी0सी0, दिनांक 11.09.2018	270.46
2	88/2019/2927/71-1-19-जी-134/2018टी0सी0, दिनांक 22.10.2019	302.33
3	143/2020/4157/71-1-2020-जी-134/2018टी0सी0, दिनांक 23.11.2020	181.39
4	101/2021/I/71208/2021-71-1001/94/2020, दिनांक 16.06.2021	394.68
	योग-	1148.86

3- इस सम्बन्ध में आपके उपरिसन्दर्भित पत्र दिनांक 18.09.2023 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ एवं सम्बद्ध चिकित्सालय का आंतरिक विद्युतीकरण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 4210-03-105-72-राजकीय मेडिकल कालेजो एंव संस्थानों में फायर फाइटिंग सिस्टम एंव इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हेतु 24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू0 2500.00 लाख के सापेक्ष प्रश्नगत कार्य हेतु अवशेष धनराशि (05 प्रतिशत) 60.47 लाख (रू0 साठ लाख सैंतालित हजार मात्र) इस शर्त के अधीन अवमुक्त की जाती है कि कार्यपूर्ति, गुणवत्ता, बिल्डिग हस्तान्तरण आदि की समस्त जिम्मेदारी प्रधानाचार्य की होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उक्त के सम्बन्ध में निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये:-

नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों

1- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 17.03.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

3- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।

4- कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।

5- अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा, अपितु आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। आहरित धनराशि को डाकघर/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

6- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की दिरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक /प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

7- शासनादेश संख्या-227/2018/2608/71-1-18-जी-134/2018टी0सी0, दिनांक 11.09.2018 में उल्लिखित अन्य शर्ते यथावत् रहेंगी।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 60,47,000 (रुपये साठ लाख सैंतालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आयव्ययक मे- अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031057200 राजकीय मेडिकल कालेजों एवं संस्थानों में फायर फाइटिंग सिस्टम एवं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 , दिनांक 17.03.2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(एस0 पी0 सिंह)
उप सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ।
4- वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, मेरठ।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।